न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 4/2017 (राजसमन्द आर्डर)

श्रीमती केसर कुंवर पत्नी स्वर्गीय शम्भूसिंह जी, जाति राजपूत, निवासी करोली, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. बलवन्तसिंह पिता भीमसिंह जी, जाति राजपूत, निवासी 219/1, सरदारपुरा, उदयपुर (राज.)
2. गोवर्धनसिंह पिता स्वर्गीय शम्भूसिंह जी, जाति राजपूत, निवासी करोली, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. नारायणसिंह पिता स्वर्गीय शम्भूसिंह जी, जाति राजपूत, निवासी करोली, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
4. उप पंजीयक, उप पंजीयक कार्यालय, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा
दिनांक 13.12.2016 प्र.सं. 6/2014

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री भूरालाल डांगी अभिभाषक अपीलान्टगण

2. श्री सुरेश त्रिवेदी अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1
3. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय दिनांक

25–04–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर

निवेदन किया कि ग्राम करोली में आराजी नंबर 3233 व 3234 किता 2 रकबा 2 बीघा भूमि स्थित है, जो प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 व 2 के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की होकर मौरूसी भूमि है। मूलपुरूष शंभूसिंह जी होकर प्रार्थीया उनकी विधवा है तथा विपक्षी संख्या 2 व 3 पुत्र हैं, किन्तु शम्भूसिंह के इन्तकाल होने पर विरासत से भूमि विपक्षी संख्या 2 व 3 व के नाम दर्ज हो गयी तथा प्रार्थीया का नाम अंकित नहीं हुआ। उक्त भूमि विपक्षी संख्या 2 व 3 के नाम दर्ज हो जाने से वह उक्त भूमि का हस्तान्तरण करने लगे, जिससे उन्हं रोका जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षी संख्या 2 व 3 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रकरण में विपक्षी संख्या 2 व 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा विपक्षी संख्या 4 द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने क कारण उनका जवाब बन्द किया गया, जबकि विपक्षी संख्या 1 द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत किया तथा काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त आराजियात उसके द्वारा 20 वर्ष पूर्व कय की गयी है, तब से उसका शान्ति पूर्वक कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थीया द्वारा जबरन उसके कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जा रहा है। अतएवं प्रार्थीया को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वह विपक्षी संख्या 1 के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उभयपक्षों की बहस सुनने के बाद अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं पर विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 13–12–2016 से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए विपक्षी संख्या 1 का काउण्टर क्लेम आंशिक रूप से स्वीकार किया। जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थीया द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 01–02–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब करने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री सुरेश त्रिवेदी

उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 की ओर से औपचारिक पक्षकार श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अभिभाशक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने यह गलत माना है कि भूमि प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम दर्ज होने से प्राईमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में नहीं है, जबकि वस्तु स्थिति यह है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 ने जो विकय प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में किया है, वह अपीलान्ट के मुकाबले बेअसर होकर शून्य है। मात्र गलत नामान्तरकरण के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते। अतएवं अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति पर विस्तृत विवेचन करते हुए यह माना है कि प्रार्थीया ने 20 वर्षो तक एतराज क्यों नहीं किया तथा उसके पति के नाम दर्ज अन्य भूमियों का उल्लेख अपने प्रार्थना पत्र में क्यों नहीं किया ? हम भी यह पाते हैं कि विवादित भूमि का विकय रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 द्वारा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पक्ष में वर्ष 1996 में किया गया है, जबकि अपीलान्ट/प्रार्थीया द्वारा आवेदन वर्ष 2013 में अर्थात विकय के 17 वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया है, जिसका कारण जो उनके द्वारा बताया गया है वह विश्वसनीय नहीं है। इसके अलावा उनके पति के खाते में कुल किता 17 रकबा 18 बीघा भूमि दर्ज है, जबकि अपीलान्ट द्वारा मात्र 2 आराजी नंबरों के 2 बीघा रकबे बाबत् ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि

अपोलान्ट/प्रार्थीया स्वच्छ हाथों से नहीं आयी है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, उसमें हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13–12–2016 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 25–04–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील
अधिकारी
उदयपुर